कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (वि./यां.) परिक्षेत्र, म.प्र. भोपाल

विज्ञप्ति

दूरभाष कमांक – 07552551708 cephedm@gmail.com

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–8–4/2021/आ.प्र./एक दिनांक 03.07.2018 एवं समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2024 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्ते तथा भरती) नियम 2011 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में निम्नानुसार पदों पर चयन हेतु निःशक्तजनों के लिये आरक्षित निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। पद की रिक्तियों/शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान निम्नानुसार है।

क	पदनाम	कुल रिक्त पद	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियां				वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताए	वॉक इन इन्टरव्यू की दिनांक
			दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी), बोनापन	ऑटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	मैकेनिक	02	—	02	—	—	5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल–4) समय–समय पर देय अन्य भत्ते	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/डीजल मैकनिक मशीनिष्ट ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	15.07.24
2	भृत्य	04	01	01	01	01	4440-7440+ ग्रेड पे 1300 (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल–1) समय–समय पर देय अन्य भत्ते	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	15.07.24

निरंतर 2

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्ते :–

01. मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम, 2011 के अनुसार पदों पर चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही हैं।

02. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी–3–11/12/1/13, दिनांक 03.11.12 एवं पत्र क्र./सी.3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र.सी. 3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी.3–8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी। निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

03. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र.का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक हैं।

04. आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने पर संबंधित वर्ग का प्रमाण–पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

05. आवेदन पत्र के साथ जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
नोट–भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र केवल यू.डी.आई.डी पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

06. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं तथा साक्षात्कार/चयन के समय सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कराना होगा।

07. साक्षात्कार के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पेनकार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध कराया जाना होगा।

08. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट सूची के अनुसार होगा।

09. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/संविदा पर कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

10. आवेदक का मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

11. आवेदक का आधार पंजीयन अनिवार्य हैं।

12. आवेदक के पास विज्ञापित पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए।

13. अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम–6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नही होती है । उपरोक्त सरल कमांक –1 में दर्शाये गये सभी पद अस्थाई हैं तथा चयन किये गये उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्ते तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा (probation) पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

14. चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

15. असत्य/भ्रामक जानकारी देने पर आवेदक को साक्षात्कार/चयन के किसी भी स्तर से वंचित करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

16. शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण–पत्रों की जांच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाए।

17. मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य किया जाए।

18. समस्त पत्र व्यवहार आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पते पर किया जावेगा।

19. विज्ञापित रिक्त पदों की अनुमानित संख्या को कम/अधिक/निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियंता को होगा।

20. आवेदकों के चयन के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (वि.यां.) परिक्षेत्र म.प्र. भोपाल का ही मान्य होगा।

6/24

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
(वि./यां.) परिक्षेत्र, म.प्र. भोपाल